राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांकः–24.04.2021

आदेश

कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य के परिपेक्ष्य में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा (जिला राजसमन्द) के समीप कोविड–19 मरीजो के लिए नवीन चिकित्सा व्यवस्था स्थापित की जानी है। इस हेतु श्री पंकज गौड, उपनिदेशक, उदयपुर क्षेत्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस हेतु समग्र प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री पंकज गौड द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र में नवीन चिकित्सा संस्थान/व्यवस्था हेतु भवन का चिन्हीकरण, इस भवन में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था, दवाईयों की व्यवस्था, एम्बूलेंस की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के स्टॉफ की व्यवस्था, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था व अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं करना सुनिश्चित की जाऐगी। इस संबंध में श्री पंकज गौड द्वारा जिला प्रशासन राजसमन्द, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आर.एस.आर.डी.सी./पीडब्ल्यूडी विभाग व अन्य संबंधित विभागो से समन्वय किया जाऐगा। श्री पंकज गौड प्रतिदिन की गई कार्यवाही से जिला कलक्टर राजसमन्द को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवयश्क अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जयपुर, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग एवं पदेन मद्य निषेध निदेशक, राजस्थान, उदयपुर।
6. जिला कलक्टर, राजसमन्द।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन, उदयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
9. श्री पंकज गौड, उपनिदेशक, उदयपुर क्षेत्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव